



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
 भाग-4, खण्ड (ख)
 (परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 10 फरवरी, 2021
 माघ 21, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2

संख्या 309(3)/52-2-2021-2-(255)-03टी0सी0-I
 लखनऊ, 10 फरवरी, 2021

अधिसूचना
 (शुद्धि-पत्र)

प०आ०-42

उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ के गठन के संबंध में सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन हेतु अधिसूचना सं० 309/52-2-2021-2(255)/03टी0सी0-I दिनांक 10.02.2021 निर्गत की गयी है। उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड निर्वाचन का संचालन नियमावली के नियम-14 के अनुसार नाम वापसी के दूसरे दिन निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची नोटिस बोर्ड पर लगाये जाने का प्राविधान है, जबकि त्रुटिवश नाम वापसी के दिन ही चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन अंकित हो गया है। अतः उपरोक्त स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त उक्त अधिसूचना में उल्लिखित सूची के क्रमांक 09, 10, 11, 12 एवं 13 निम्नानुसार संशोधित समझे जायं :-

g	नाम निर्देशन पत्रों की वापसी	05.03.2021	पूर्वाह्न 11.00 बजे से 05.00 बजे तक
10	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	06.03.2021	
11	मतदान किया जायेगा यदि आवश्यक हुआ	07.03.2021	पूर्वाह्न 8.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक
12	मतगणना की तिथि	07.03.2021	अपरान्ह 4.00 बजे से मतगणना पूर्ण होने तक
13	परिणाम की घोषणा	07.03.2021	मतगणना समाप्त होने के बाद

2-अतएव उपरोक्त अधिसूचना सं० 309/52-2-2021-2(255)/03टी0सी0-I दिनांक 10 फरवरी, 2021 उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाय।

आज्ञा से,
 बी०एल० मीणा,
 प्रमुख सचिव।